:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना RAS

मुकदमा नम्बर 86 / 2022 दायर दिनांक 17.11.2022

1. इकबाल हुसैन पिता हाजी जाति मुसलमान निवासी पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज। –वादी

बनाम

1. श्रीमती मणीदेवी पत्नी मकनसिंह लबाना निवासी नयागॉव पीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।
2. श्री भूमिधारी तहसीलदार तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 151 जा.दी

उपस्थित :–

1 श्री कर्तव्य शाह अधिवक्ता वादी।

2 राजकीय पेरोकार तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

:: निर्णय :: दिनांक 24 / 07 / 2024

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा पीठ में खाता सख्या 94 खसरा नम्बर 2292 खेत किता 1 का रकवा 1.0926 हैक्टेयर भूमि वादी की है। वादी ने अपनी खातेदारी भूमि मौजा पीठ के खसरा 2292 तक पहुंच हेतु प्रतिवादी की खातेदारी आराजी संख्या 2607 में से 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा है।

उक्त प्रकरण में प्रतिवादी मणीदेवी का लम्बे समय से मृत्यु होना तहसीलदार की रिपोर्ट से दर्शित किया गया है। वादी की ओर से प्रतिवादी की मृत्यु की कोई सूचना नहीं दी गई है, ना ही प्रतिवादी के विधिक वारीसान को पक्षकार बनाने के लिए कोई प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में जिस व्यक्ति से अनुतोष चाहा गया है वह व्यक्ति जीवित हीं नही है, ऐसे में मृतक व्यक्ति के विरूद्ध वाद चलाए रखना न्यायोचित नहीं होने से वाद खारिज योग्य है। साथ ही पटवारी रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि वादी की वाद ग्रस्त आराजी तक पहुंच हेतु सुलभ मार्ग उपलब्ध है। जिसकी ताईद वादी ने पटवारी द्वारा तैयार किये गये मौका पर्चा को पढ कर हस्ताक्षर कर की है। जब खातेदारी भूमि पर पहुंच हेतु सुलभ रास्ता उपलब्ध हो ऐसे में रास्ते के वाद का विचारण करना न्यायसंगत नहीं होने से भी खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार प्रकरण खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी सीमलवाड़ा

सीमलवाडा

Scanned with OKEN Scanner